राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / 56002 / 2014 जयपुर, दिनांक :

19 JAN 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य पर औसत मजदूरी दर के संबन्ध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 31.08.2010**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों में **दैनिक मजदूरी दर अत्यधिक कम** आने की स्थिति में **कार्यों का निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने** के निर्देश प्रदान किये गये है। राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि उक्त निर्देशों की पालना नही की जा रही है। योजनान्तर्गत सम्पादित कराए जा रहे कार्यों में से कुछ कार्यों पर आ रही **अत्यन्त न्यून मजदूरी दर आने की स्थिति** में यह आवश्यक हो जाता है कि **कार्य की प्रगति के दौरान ही इस पर आवश्यक सुधारात्मक कदम** उठाये जावे। इस हेतु योजनान्तर्गत अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्वि होने के फलस्वरूप संदर्भित पत्र के अतिक्रमण में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. **मेट द्वारा** कार्य की माप किये जाने पर **औसत मजदूरी दर रू. 120 से कम अनुमानित** होने पर अनुमानित मजदूरी दर से तुरन्त **ग्राम रोजगार सहायक / ग्राम सचिव / सरपंच को अवगत** कराया जायेगा।

2. उक्त सूचना प्राप्त होते ही **ग्राम रोजगार सहायक / ग्राम सचिव / सरपंच द्वारा यह सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति सह कार्यक्रम अधिकारी** महात्मा गांधी नरेगा एवं **सहायक अभियन्ता** महात्मा गांधी नरेगा को **दी** जायेगी। साथ ही ग्राम सचिव स्वयं कार्यस्थल पर जाकर मेट एवं श्रमिकों को समूह में कार्य हेतु **प्रोत्साहित** करेंगे तथा मजदूरी दर बढाये जाने का प्रयास करेंगे।

3. निम्न तालिका के अनुसार मजदूरी दर की श्रेणी के अनुरूप जिला / पंचायत समिति स्तर पर **कार्यरत अधिकारियों स्वयं के द्वारा कार्य का निरीक्षण** किया जाकर **सुधारात्मक कार्यवाही** की जायेगी, **निरीक्षण पंजिका में इन्द्राज** किया जायेगा एवं **उच्चाधिकारियों को तुरन्त अवगत** कराया जायेगा।

क. स.	**अनुमानित मजदूरी दर**	**निरीक्षणकर्ता अधिकारी**	**उच्चाधिकारी जिसे अवगत कराया जाना है।**
1	रू. 120 से कम एवं रू. 100 से अधिक	सहायक अभियन्ता संबन्धित पंचायत समिति	1. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी 2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस।
2	रू. 100 से कम एवं रू. 75 से अधिक	विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी	1. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक